


न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)

R. 5055-ए/115



Ps. 201-

406  
15-9-15

1. मनसुख लाल सर्राफ पिता स्व० काशी प्रसाद अवधिया,
2. मुस. श्यामबती वेवा पत्नी स्व. रामखेलावन अवधिया,
3. राजकुमार पिता स्व. रामखेलावन अवधिया,
4. संतोष कुमार पिता स्व. रामखेलावन अवधिया,  
सभी निवासी कुंदनपुरवा, तहसील मरुगंज, जिला रीवा (म०प्र०)
5. श्रीमती राजबली पत्नी स्व. अशोक अवधिया,  
प्रशान्त कुमार तनय स्व. अशोक अवधिया,  
दोनो निवासी ग्राम हटवा, जिला सीधी (म०प्र०)
7. श्रीमती संगीता पत्नी नरेश सोनी पुत्री स्व. रामखेलावन अवधिया,  
निवासी ग्राम बिलासपुर, जिला उमरिया, (म०प्र०)
8. श्रीमती सुनीता पत्नी शिवाजी सोनी पुत्री स्व. रामखेलावन अवधिया,  
निवासी ग्राम मैहर, जिला सतना (म०प्र०)
9. श्रीमती गीता पत्नी कैलाश सोनी पुत्री स्व. रामखेलावन अवधिया,  
निवासी ग्राम उमरिया, जिला उमरिया (म०प्र०),
10. सुशील कुमार पिता स्व. रामखेलावन अवधिया,  
निवासी कुन्दनपुरवा, तहसील मरुगंज, जिला रीवा (म०प्र०)
11. सुदामा प्रसाद अवधिया पिता स्व. काशी प्रसाद अवधिया,
12. मुस. विद्यावती पत्नी स्व. लालजी अवधिया,
13. जीतेन्द्र कुमार पिता स्व. लालजी अवधिया,
14. मृगेन्द्र कुमार पिता स्व. लालजी अवधिया,
15. सभी निवासी ग्राम कुन्दनपुरवा पत्रालय मरुगंज, तहसील मरुगंज,  
जिला रीवा (म०प्र०)।

..... आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. भारतीय डाकतार विभाग, *Dr. M.*

*मनसुख लाल सर्राफ*

*M*

शारदा प्रसाद मिश्रा  
द्वारा जन्म तिथि 15-9-15  
पंजीय किया गया

*M*  
मैहर  
सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5255/11/15..... जिला रोहतास

स्थान तथा दिनांक	मन्सुखलाल कार्यवाही तथा आदेश	डाकगाँव विभाग पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.2.2016	<p>मह. निगामी कौल रोहतास के प्रकरण 11/3-68/मिगव 13-14 में पारित झोड़ा दिनांक 11-8-15 के सिद्ध प्रकरण की गति है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगामी में से अधिक विद्वानों पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों से निगामी में से अधिक विद्वानों पर तथा प्रत्यक्ष झोड़ा के अवलोकन करके पर पता गया कि कौल हवा अपने झोड़े में मह. अधिक करके उध. कि धूम धुंके कर 50/10, 51 नो. का कवा कुमशा: 0-09 व 0-16 एकड़ कुल कवा 0-25 में आवेदक का कवा दुर्ब है जो वे कवा उत्पन्न नहीं हो सका ऐसी धरा में मह. को वेहता की धरा 248 की शक्तियों का प्रमाण कर कवा हटाने की कार्यवाही करना चाहिए। प्रकरण में अधीन-धारा 0 मह. का झोड़ा दिनांक 5-8-01 में किया जाकर (जिसके उप. कार्यवाही (कार्यवाही) प्रकरण मह. को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्ति किया गया है। वे प्रकरण में संलग्न पत्रविद्य के आधार पर ठगरेष पर प्रमाण का मोक्ष एक माह में निष्पत्ति करे। तथा डाकगाँव विभाग के हवा अधीनक डाकगाँव के नमों गला हेतु विचारधीन, का मयाशील एक माह में निष्पत्ति करना अनिवार्य करे।</p> <p>प्रकरण में विचारधीन कबेकर का झोड़ा दिनांक 11-8-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मह. कबेकर के झोड़ा के पालन में विधि अनुसार मोक्ष सम्भव है। पूर्वक प्रकरण में ठगरेष के आधार पर निष्पत्ति उपरोक्त निर्देश के साथ मह. निगामी प्रकरण इसी कारण समाप्त किया जाता है पक्षकार (अभिषेक) प्रकार दिव्य है।</p>	<p>दिनांक</p>